कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन
सतपुड़ा भवन, पांचवी मंजिल, भोपाल – 462004

क्रमांक 239 / आउशि / शाखा–1 / 2008, भोपाल, दिनांक

मध्यप्रदेश के शासकीय / अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश के लिए मार्गदर्शक सिद्वान्त सत्र 2008–2009

सेमेस्टर पद्धति हेतु

1 – प्रयुक्ति

यह मार्गदर्शक सिद्वान्त मध्यप्रदेश के सभी शासकीय एवं अशासकीय (अनुदान प्राप्त एवं अनुदान अप्राप्त) महाविद्यालयों में म0प्र0 विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के अन्तर्गत अध्यादेश क्रमांक–6 एवं 7 के प्रावधान के तहत सहपठित करते हुये लागू होगें तथा समस्त प्राचार्य इनका पालन सुनिश्चित करेंगें। जिन पाठ्यक्रमों के अध्यादेश / नियम / विनियम में प्रवेश पात्रता हेतु अन्यथा उल्लेख हों, उदाहरणार्थ बी.सी.ए., ये नियम विश्वविद्यालय / सम्बद्ध महाविद्यालयों के उन पाठयक्रमों के लिए लागू नही होगें।

2 – प्रवेश की तिथि

2.1 प्रवेश हेतु आवेदन पत्र जमा करना

महाविद्यालय में प्रवेश के लिये महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा निर्धारित आवेदन–पत्र समस्त प्रमाण पत्रों सहित 21 मई से दिनांक 10 जून तक जमा किये जावेगे। विलम्ब शुल्क के साथ 14 जून तक जमा किये जायेंगे। इसके पश्चात् प्रवेश हेतु आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। विभिन्न कक्षाओ में प्रवेश के लिये आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सूचना पटल पर कम से कम 7 दिन के पूर्व लगाई जावेगी। तथा स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से भी जनसाधारण मे व्यापक प्रचार–प्रसार किया जाए। बोर्ड / विश्वविद्यालय द्वारा अंक सूची प्रदान न किये जाने की स्थिति में पूर्व संस्था के संबंधित प्राचार्य द्वारा अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रमाणित किये जाने पर बिना अंक सूची के आवेदन–पत्र जमा किये जावें। बोर्ड / विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन–पत्र जमा किए जाएं। इंटरनेट से डाउन लोड की गई अंकसूची भी मान्य होगी।

2.2 प्रवेश हेतु अंतिम तिथि निर्धारित करना

स्थानान्तरण प्रकरणों को छोड़कर 25 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 30 जून तक कुलाधिपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देने में सक्षम होगें । परीक्षा परिणाम विलंब से घोषित होने की स्थिति में प्रवेश की अंतिम तिथि विश्वविद्यालय / बोर्ड द्वारा परीक्षा परिणाम घोषित होने की तिथि से 15 दिन के बाद तक मान्य होगी। कंडिका 5.1 (क) में उल्लेखित कर्मचारियों के स्थानान्तरित होने पर प्रवेश की अंतिम तिथि के बाद प्रवेश चाहने वाले उनके पुत्र / पुत्रियों को आवेदित कक्षा में स्थान रिक्त होने पर सत्र के दौरान प्रवेश दिया जावे। इस हेतु कर्मचारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं आवेदक का प्रवेश निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व, अन्य महाविद्यालय में प्रवेश होने पर ही दिया जावेगा। कर्मचारी के

स्थानांतरण के पश्चात् निर्धारित मुख्यालय के किसी भी महाविद्यालय में स्थान रिक्त न होने पर कुलाधिपति की अनुमति से कर्मचारी के परिवार के विद्यार्थी को प्रवेश दिलाया जा सकता है।

2.3 स्नातक स्तर पर नियमित प्रवेश

(क) 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी, किन्तु वाणिज्य और कला संकाय के विद्यार्थियों को विज्ञान संकाय में सामान्यतः प्रवेश नही दिया जावेगा। विज्ञान संकाय के विद्यार्थियों को वाणिज्य संकाय, कला संकाय एवं गृहविज्ञान संकाय में प्रवेश दिये जा सकेंगे। गृह विज्ञान संकाय में 10+2 परीक्षा गृह विज्ञान से उत्तीर्ण छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी, स्थान रिक्त होने पर क्रमशः विज्ञान, वाणिज्य, कला संकाय तथा 10+2 परीक्षा में व्यावसायिक पाठ्यक्रमों से उत्तीर्ण छात्राओं को भी प्रवेश दिए जा सकेंगे। 10+2 का तात्पर्य म0प्र0 माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा आयोजित या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य राज्यों के विद्यालयों की इंटरमीडियट बोर्ड की समकक्ष परीक्षा से है।

इन आवेदकों के आवेदनों को महाविद्यालय के प्राचार्य के द्वारा संबंधित विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र लेकर आवेदन के साथ लगाना आवश्यक होगा।

(ख) 10+2 कृषि से उत्तीर्ण छात्रों को बी.एससी. प्रथम वर्ष जीव विज्ञान समूह में प्रवेश दिया जा सकता है।

2.4 स्नातकोत्तर स्तर पर नियमित प्रवेश

(क)

बी.कॉम.	एम.कॉम.
बी.एससी.	एम.एससी.
बी.एससी. (गृहविज्ञान)	एम.एससी. (गृहविज्ञान)

(ख) किसी भी संकाय में स्नातक को एम.ए. में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष उत्तीर्ण आवेदकों को उसी विषय के स्नातकोत्तर द्वितीय वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। सेमेस्टर पद्धति की पूर्व अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को अगले सेमेस्टर में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

2.5 स्नातक प्रथम वर्ष में पूरक छात्रों को प्रवेश

स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश के लिये हायर सेकेण्डरी (सेन्ट्रल बोर्ड+माध्यमिक शिक्षा मण्डल,भोपाल) की परीक्षाओं में जिन छात्रों को पूरक की पात्रता आई थी तथा पूरक परीक्षा में उनके उत्तीर्ण होने पर छात्रों को प्रवेश हेतु पूरक परीक्षा परिणाम घोषित होने के दिनांक से 15 दिनों तक महाविद्यालय में नियमित प्रवेश, स्थान रिक्त होने तथा गुणानुक्रम में आने पर प्राचार्य द्वारा दिया जा सकेगा। किन्तु इन छात्रों को सेमेस्टर के प्रारंभ में अपनी रिस्क पर प्राविधिक प्रवेश लेना अनिवार्य होगा।

3– प्रवेश संख्या का निर्धारण

महाविद्यालयों में उपलब्ध साधनों तथा कक्षा में बैठने की व्यवस्था/प्रयोगशाला में उपलब्ध उपकरण, उपलब्ध सामग्री एवं स्टाफ की उपलब्धता आदि के आधार पर प्राचार्य विभिन्न कक्षाओं के लिये छात्र संख्या का निर्धारण करेंगे और इस संख्या का विषयवार, कक्षावार एवं पालीवार (प्रातः एवं दोपहर की शिफ्ट) अनुसार निर्धारण कर प्रवेश की अंतिम तिथि के पूर्व आयुक्त, उच्च शिक्षा को लिखित में सूची भेजेंगे। जिसे आयुक्त के द्वारा विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जायेगा। तथापि प्राचार्य का यह अधिकार वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ सीटों की संख्या का निर्णय शासन अथवा विश्वविद्यालय व्दारा किया गया है। विधि स्नातक प्रथम, की कक्षा में बार कौंसिल व्दारा निर्धारित मापदंडों के अनुसार अधिकतम 80 विद्यार्थियों को ही प्रति सेक्शन में प्रवेश गुणानुक्रम के आधार पर दिया जावे। संबंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय/महाविद्यालय व्दारा प्रत्येक कक्षा के लिये अध्यापन के विषय/विषय समूह का निर्धारण किया गया है। प्राचार्य अपने महाविद्यालयों में उन्हीं निर्धारित विषय/विषय समूह में निर्धारित प्रवेश संख्या के अनुसार ही प्रत्येक कक्षा में आवेदकों को प्रवेश देंगे। जिस विषय में नियमित शिक्षक उपलब्ध नहीं है एवं पूर्व वर्षों के अनुभव के आधार पर ज्ञात है कि उस विषय में अतिथि विद्वान भी उपलब्ध नहीं होंगे उन विषयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश नहीं दिया जावे।

4– प्रवेश सूची

प्राचार्य व्दारा, प्रवेश शुल्क जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि की सूचना देते हुए, प्रवेश हेतु चयनित विद्यार्थियों की अर्हकारी परीक्षा में प्राप्तांकों एवं जहाँ अधिभार देय है, वहाँ अधिभार देकर कुल प्राप्तांकों की गुणानुक्रम सूची प्रतिशत अंक सहित, सूचना पटल पर लगाई जायेगी। तथा इसकी प्रति को महाविद्यालय की वेबसाइट पर भी प्रकाशित किया जावेगा। प्रवेश समिति व्दारा आवश्यक संलग्न प्रमाण पत्रों की प्रतियों को मूल प्रमाण पत्रों से मिलान कर प्रमाणित करने एवं जहाँ आवश्यक हो, स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति जमा करने के पश्चात् ही प्रवेश शुल्क जमा करने की अनुमति दी जायेगी।

निर्धारित शुल्क जमा करने पर ही महाविद्यालय में प्रवेश मान्य होगा। प्रवेश के पश्चात् स्थानांतरण प्रमाण पत्र की मूल प्रति को निरस्त की सील लगाकर अनिवार्य रूप से निरस्त कर दिया जाये। घोषित प्रवेश सूची की शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि के बाद स्थान रिक्त होने पर सभी कक्षाओं में नियमानुसार प्रवेश हेतु विलंब शुल्क रूपये 100/– जनभागीदारी मद में अतिरिक्त रूप से लेकर प्रवेश दिया जा सकेगा, तथापि ऐसे प्रकरणों में 30 जून के पश्चात् प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि अंतिम तिथि तक शुल्क जमा नहीं किया जाता है तो प्रवेश निरस्त माना जावेगा।

5– प्रवेश की पात्रता

5.1 निवासी एवं अर्हकारी परीक्षा

(क) म0प्र0 के मूल/स्थायी, म0प्र0 में स्थायी संपत्तिधारी निवासी, राज्य या केन्द्र सरकार के शासकीय कर्मचारी, राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा भारत सरकार द्वारा संचालित व्यावसायिक संगठनों के कर्मचारी जिनका पदांकन म0प्र0 में हो, उनके पुत्र/पुत्रियों एवं जम्मू काश्मीर के विस्थापितों/भूटान के छात्रों को तथा उनके आश्रितों को महाविद्यालयों में प्रवेश दिया जावेगा । उपरोक्तानुसार प्रवेश देने के पश्चात भी स्थान रिक्त होने पर अन्य स्थानों के बोर्ड एवं अर्हकारी परीक्षा

उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नियमानुसार गुणानुक्रम के आधार पर प्रवेश दिया जा सकता है।

(ख) संबंधित विश्वविद्यालय से या संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों/महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों की अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को ही महाविद्यालय में प्रवेश की पात्रता होगी।

(ग) काश्मीर के विस्थापितों के लिये निम्न प्रावधान लागू होगा –

1. प्रवेश की अंतिम तिथि में 30 दिन की छूट।
2. न्यूनतम प्रवेश प्राप्तांकों में 10 प्रतिशत की छूट, इस बात का ध्यान रखते हुए कि पात्रता की अन्य शर्ते पूरी होती हों।
3. उपलब्ध स्थानों में पाठ्यक्रमवार 5 प्रतिशत की वृद्धि ।
4. मूल निवासी अनिवार्यता से पूर्ण छूट।
5. द्वितीय और आने वाले वर्षो में आवर्जन की सुविधा ।

5.2 विधि संकाय में नियमित प्रवेश

(क) स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को विधि स्नातक प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

(ख) विधि स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को एल.एल.एम. प्रथम वर्ष में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी।

5.3 विधि संकाय में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम अंक सीमा

(क) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा यदि प्रवेश, प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है तो 40 प्रतिशत तथा जहॉ प्रवेश परीक्षा के माध्यम से नहीं दिया जाता वहॉ स्नातक अथवा स्नातकोत्तर कक्षा में 45 प्रतिशत प्राप्तांक होगी। विधि स्नातक प्रथम वर्ष में अनुसूचित जाति/जनजाति /निःशक्त वर्ग के विद्याथियों को न्यूनतम अंक सीमा में 05 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

(ख) विधि स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु न्यूनतम अंक सीमा 55 प्रतिशत रहेगी किन्तु अनुसूचित जाति/जनजाति/निःशक्त वर्ग के आवेदकों को पात्रता हेतु निर्धारित इस अंक सीमा में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान जाएगी।

6– समकक्ष परीक्षा

6.1 सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेण्डरी एजुकेशन (सी0बी0एस0ई0) तथा अन्य राज्यों के विद्यालयों/इंटरमीडिएट बोर्ड की 10+2 की परीक्षायें म.प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10+2 परीक्षा के समकक्ष मान्य है । प्राचार्य मान्य बोर्डो की सूची सम्बद्ध विश्वविद्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।

6.2 सामान्यतः भारत में स्थित विश्वविद्यालय जो भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एसोसिएशन आफ इंडियन यूनिवर्सिटीज) के सदस्य हैं, उनकी समस्त परीक्षायें म0प्र0 के विश्वविद्यालय की परीक्षा के समकक्ष मान्य है ।

6.3 संबंधित विश्वविद्यालय व्दारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं की सूची एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय–समय पर जारी फर्जी अथवा मान्यता विहीन विश्वविद्यालय या शिक्षण संस्थाओं जिनकी परीक्षा/उपाधि मान्य नहीं है की जानकारी प्राचार्य संबंधित विश्वविद्यालय से प्राप्त करे ।

6.4 माध्यमिक शिक्षा मण्डल द्वारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम में विज्ञान से मिलते जुलते विषय यथा लेबोरेट्री मेडिसिन मैनेजमेंट एवं सिस्टम एनालिसिस, क्लिनिकल बॉयोकेमेस्ट्री, माइक्रोबॉयलाजी एण्ड मैनेजमेंट सिस्टम तथा कम्प्यूटर से संबंधित विषय तथा प्रिंटिंग आफ डाटा–प्रोसेसिंग मैनेजमेंट एण्ड सिस्टम एनालिसिस, टी.डी.पी.पैकेज प्रोग्रामिंग, वर्क शाप प्रैक्टिस सम्मिलित है। उपरोक्त विषयों के साथ माध्यमिक शिक्षा मण्डल, भोपाल द्वारा संचालित व्यावसायिक पाठ्यक्रम 10+2 के उत्तीर्ण छात्रों को विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण–पत्र प्राप्त करने के उपरांत संबंधित संकाय में प्रवेश दिया जायेगा । ऐसे आवेदकों को प्रवेश आवेदन के साथ विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता/अर्हता प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा।

किसी भी कक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता संबंधी निर्धारण में संदेह होने पर संबंधित विश्वविद्यालय द्वारा जारी पात्रता प्रमाण–पत्र को अंतिम माना जायेगा।

6.5 **मध्यप्रदेश संस्कृत बोर्ड की उत्तर मध्यमा परीक्षा को हायर सेकेण्डरी परीक्षा के समकक्ष माना जाये।**

7– बाह्य आवेदकों का प्रवेश

7.1 स्नातक स्तर तक बी0ए0/बी0काम/बी0एससी/बी0एससी0 (गृह विज्ञान) में एकीकृत पाठ्यक्रम लागू होने से म0प्र0 के किसी भी विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय से प्रथम/द्वितीय वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में प्रवेश की पात्रता है किंतु सम्बंधित विश्वविद्यालय/स्वशासी महाविद्यालय में पढ़ाये जा रहे विषयों/विषय समूहों में आवेदकों ने पिछली परीक्षा दी हो इसका परीक्षण करने के पश्चात् ही नियमित प्रवेश दिया जावे। विश्वविद्यालय से पात्रता प्रमाण पत्र अवश्य लिया जाय।

7.2 म0प्र0 के बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा म.प्र. के अन्य विश्वविद्यालयों/स्वशासी महाविद्यालयों से स्नातकोत्तर की प्रथम परीक्षा या प्रथम, द्वितीय, तृतीय सेमेस्टर परीक्षा एवं विधि स्नातक स्तर की प्रथम/द्वितीय वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण आवेदकों को उनके व्दारा सम्बंधित विश्वविद्यालयों से पात्रता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात् ही उन्हीं विषय/विषयों/विषय समूह की अगली कक्षा में नियमित प्रवेश दिया जावे।

8–अस्थाई प्रवेश की पात्रता

अस्थाई प्रवेश की पात्रता रखने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश हेतु निर्धारित अंतिम तिथि के पूर्व अस्थायी प्रवेश लेना अनिवार्य होगा। स्नातक में प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ/पंचम में ए.टी.के.टी. प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थायी प्रवेश की पात्रता होगी।

स्नातकोत्तर सेमेस्टर प्रथम/द्वितीय/तृतीय में ए.टी.के.टी. (Allowed To Keep Term) प्राप्त आवेदकों को अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश की पात्रता होगी ।

9– प्रवेश हेतु अर्हतायें/अपात्रताएं

9.1 किसी भी महाविद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के किसी संकाय की कक्षा में एक बार नियमित प्रवेश लेकर परीक्षा में सम्मिलित न होने/अध्ययन छोड़ देने/अनुत्तीर्ण होने वाले छात्र/छात्राओं को उसी संकाय की उसी कक्षा में पुनः नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी । यदि किसी छात्र ने पूर्व सत्र में आवेदित कक्षा में नियमित प्रवेश नहीं लिया हो तो ऐसा आवेदक नियमित प्रवेश हेतु अनर्ह नहीं माना जावेगा। उसे मात्र मूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र तथा शपथ पत्र जिससे प्रमाणित हो कि पूर्व में उसने प्रवेश नहीं लिया है, के आधार पर ही नियमानुसार प्रवेश दिया जावेगा।

9.2 जिन आवेदकों के विरूद्ध न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया गया हो/या न्यायालय में आपराधिक प्रकरण चल रहे हों, परीक्षा में या पूर्व सत्र में छात्रों/अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ दुर्व्यवहार/मारपीट करने के गंभीर आरोप हों/चेतावनी के बाद भी सुधार परिलक्षित नहीं हुआ हो तो ऐसे छात्र/छात्राओं को प्रवेश देने के लिये प्राचार्य अधिकृत नहीं है।

9.3 महाविद्यालय में तोड़ फोड़ करने और महाविद्यालय की सम्पत्ति को नष्ट करने वाले/रैगिंग के आरोपी छात्र/छात्राओं को प्राचार्य प्रवेश देने के लिये अधिकृत नहीं है।

9.4

(क) स्नातक स्तर प्रथम वर्ष में 22 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम वर्ष में 27 वर्ष से अधिक आयु के आवेदकों को प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। आयु की गणना एक जुलाई की स्थिति में की जायेगी। स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में नियमित प्रवेश हेतु महिला उम्मीदवारों को उच्चतम आयु सीमा का कोई बंधन नहीं होगा ।

(ख) आयु सीमा का यह बंधन किसी भी राज्य सरकार/भारत सरकार के मंत्रालय कार्यालय तथा उनके व्दारा नियंत्रित संस्थाओं व्दारा प्रायोजित व अनुशंसित प्रत्याशियों, भारत सरकार व्दारा प्रायोजित अथवा किसी विदेशी सरकार व्दारा अनुशंसित विदेशों से अध्ययन हेतु भेजे गये छात्रों अथवा विदेश से अध्ययन के लिये विदेशी मुद्रा में पेमेंट सीट पर अध्ययन करने वाले छात्रों पर लागू नहीं होगा।

(ग) विधि संकाय के त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम एवं एल एल एम पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भी आयु सीमा का बंधन नहीं होगा।

(घ) योग पाठ्यक्रमों मे ंप्रवेश हेतु आयु सीमा का बंधन नही होगा।

(ङ.) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/विकलांग विद्यार्थियों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट प्रदान की जायेगी ।

(च) निःशक्तजन वर्ग के आवेदकों को स्नातक कक्षाओं में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष एवं स्नातकोत्तर कक्षाओं में 35 वर्ष होगी ।

(छ) 40 से 50 प्रतिशत विकलांगता वाले आवेदकों को विकलांग हेतु अधिकतम आयु सीमा स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 30 वर्ष में 03 वर्ष की अतिरिक्त छूट प्रदान की जाए ।

(ज) प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष होगी। एवं स्नातकोत्तर में तीस वर्ष होगी।

9.5 पूर्णकालिक शासकीय/अशासकीय सेवारत कर्मचारी को उसकी दैनिक कार्य की अवधि में लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता नहीं होगी। दैनिक कर्तव्य

अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में नियमित प्रवेश की पात्रता होगी। दैनिक कर्तव्य अवधि के उपरांत लगने वाले महाविद्यालय में प्रवेश हेतु आवेदन करने पर आवेदक व्दारा नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही प्रवेश दिया जावेगा। किसी संकाय में स्नातक उपाधि प्राप्त छात्र/छात्राओं को, (विधि संकाय) को छोड़कर अन्य संकायों के स्नातक पाठ्यक्रम में नियमित प्रवेश की पात्रता नही होगी।

10– प्रवेश हेतु गुणानुक्रम का निर्धारण

10.1 उपलब्ध स्थानों से अधिक आवेदक होने पर प्रवेश निम्नानुसार गुणानुक्रम से किया जावेगा ।

(क) स्नातक एवं स्नातकोत्तर कक्षाओ में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा से प्राप्तांक एवं अधिभार देय है तो अधिभार जोड़कर प्राप्त कुल प्रतिशत अंको के आधार पर तथा

(ख) विधि स्नातक प्रथम वर्ष में सम्बद्व विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रावधान हो तो विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदंडो के अनुसार ।

10.2 सामान्य एवं आरक्षित श्रेणी के लिये अलग–अलग गुणानुक्रम सूची तैयार की जावेगी।

10.3 प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों में शालाये स्तर के अध्यापन का कार्य होने के कारण जिस बोर्ड से उनके पाठ्यक्रमों को संबद्धता प्राप्त हो उसी बोर्ड के प्रवेश के नियमों को मान्य किया जावेगा।

11– प्रवेश हेतु प्राथमिकता

11.1 प्रथम वर्ष स्नातक/स्नातकोत्तर /विधि कक्षा में प्रवेश हेतु प्राथमिकता का आधार अर्हकारी परीक्षा में उत्तीर्ण (1) नियमित, (2) भूतपूर्व नियमित (3) स्वाध्यायी उत्तीर्ण विद्यार्थियों के क्रमानुसार रहेगा।

11.2 किसी एक की स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण विद्यार्थी को अन्य की स्नातकोत्तर कक्षा में प्रवेश, महाविद्यालय में स्थान रिक्त रहने की स्थिति में ही दिया जा सकेगा।

12– आरक्षण मध्यप्रदेश शासन की आरक्षण नीति के अनुरूप निम्नानुसार होगा

12.1 अनुसूचित जाति (अ.जा.) एवं अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा.) के आवेदकों के लिए *16 तथा 20 प्रतिशत* स्थान आरक्षित होगें । इन दोनों वर्गो के स्थान आपस में परिवर्तनशील होगें।

12.2 पिछडे वर्ग के (क्रीमीलेयर छोड़कर) के आवेदकों के लिये 14 प्रतिशत स्थान आरक्षित होंगे।

12.3 स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के पुत्र/पुत्रियों, पौत्र और पौत्रियों को भारतीय सेना में कर्तव्य के दौरान वीरगति को प्राप्त अथवा स्थाई रूप से अपंग हुए सैनिकों के पुत्र/पुत्रियों, भूतपूर्व तथा वर्तमान में कार्यरत सेना के कर्मियों (Defence personnel) के आश्रितों को तथा विकलांग श्रेणी के आवेदकों के लिए संयुक्त रूप से 03 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायें।

विकलांग आवेदकों को प्राप्तांकों के 10 प्रतिशत अंकों का अधिभार देकर, तीन वर्गो का, सम्मिलित गुणानुक्रम निर्धारित किया जाए, परन्तु यह आरक्षण संबंधित संवर्ग के लिए आरक्षित स्थानों में से ही उपलब्ध कराया जाये।

भारतीय सेना के उक्त प्रकार के सेना कर्मियों/ अधिकारियों के लिए प्राथमिकता क्रम निम्नानुसार रहेगा –

1. युद्ध के दौरान शहीद विधवायें एवं उनके आश्रित ।
2. युद्ध के दौरान स्थायी रूप से अपंग, कार्यरत अथवा सैनिकों एवं उनके आश्रित ।
3. शांति के दौरान सेवाकाल में शहीद के आश्रित ।
4. शांति के दौरान सेवाकाल में स्थायी रूप से अपंग तथा उनके आश्रित ।
5. निम्नलिखित शौर्य पदकों से सम्मानित सेवारत अथवा पूर्व सैनिकों के आश्रित, परमवीर चक्र, अशोक चक्र, सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल, महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, उत्तम सेवा मेडल, वीर चक्र, शौर्य चक्र, युद्ध सेवा मेडल, सेना, नौसेना,वायु सेना मेडल पत्रों में उल्लेख ।
6. भूतपूर्व सैनिकों के आश्रित ।
7. कार्यरत सैनिकों के आश्रित ।

12.4 निःशक्तजन श्रेणी के आवेदक के लिये 3 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जावेंगे परन्तु यह आरक्षण उनके संबंधित संवर्ग के लिये आरक्षित स्थान में ही उपलब्ध कराया जावेगा। निःशक्तजनों के प्रवेश के समय अर्हतादायी अंकों में 5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

12.5 सभी वर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 30 प्रतिशत स्थान महिला छात्राओं के लिये आरक्षित होगें।

12.6 उच्च शिक्षा विभाग,मध्यप्रदेश शासन तथा उसके अधीनस्त कार्यालय, आयुक्त उच्च शिक्षा में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों, प्राचार्यो, प्राध्यापकों, ग्रंथपालों,क्रीडा अधिकारियों, रजिस्ट्रारों एवं शासकीय महाविद्यालयों में कार्यरत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के पुत्र/पुत्रियों के लिए सभी सम्बन्धित संवर्गो में उपलब्ध स्थानों में से 2 प्रतिशत स्थान आरक्षित रखे जायें।

12.7 आरक्षित श्रेणी का कोई उम्मीदवार अधिक अंक पाने के कारण सामान्य श्रेणी/ओपन प्रतिस्पर्धा में नियमानुसार मेरिट सूची में रखा जाता है तो आरक्षित श्रेणी की सीटें यथावत अप्रभावित रहेगी, परन्तु यदि ऐसा विद्यार्थी किसी संवर्ग जैसे–स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि का भी है तो संवर्ग की सीट उस आरक्षित श्रेणी में भरी मानी जावेगी, शेष संवर्ग की सीटें भरी जावेगी ।

12.8 अल्पसंख्यक समुदायों द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं के ऐसे पाठ्यक्रमों में जहॉ प्रवेश किसी प्रवेश–परीक्षा के माध्यम से दिया जाता है, आरक्षण का प्रावधान लागू नहीं होगा, किन्तु प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा।

12.9 आरक्षित स्थान का प्रतिशत 1/2 से कम आता है तो आरक्षित स्थान उपलब्ध नहीं होगा । 1/2 प्रतिशत एवं एक प्रतिशत के बीच आने पर आरक्षित स्थान की संख्या एक होगी।

12.10 प्रवेश की निर्धारित अंतिम तिथि तक आरक्षित स्थानों के लिये पर्याप्त छात्र/छात्राएं उपलब्ध न होने पर आरक्षित स्थान अनारक्षित श्रेणी के आवेदकों के लिये उपलब्ध रहेंगे।

12.11 समय–समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण नियमों का पालन किया जावे।

13– अधिभार

अधिभार मात्र गुणानुक्रम निर्धारण के लिए ही प्रदान किया जावेगा । पात्रता प्राप्ति हेतु इसका उपयोग नही किया जावेगा । अर्हकारी परीक्षा के प्राप्ताकों के प्रतिशत पर ही अधिभार देय होगा । अधिभार हेतु समस्त प्रमाण पत्र प्रवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है आवेदन पत्र जमा करने के पश्चात बाद में लाये जाने/जमा किये जाने वाले प्रमाण पत्रों पर अधिभार हेतु विचार नही किया जावेगा। एक से अधिक अधिभार प्राप्त होने पर मात्र सर्वाधिक अधिभार का लाभ देय होगा ।

13.1 एन0सी0सी0/एन0एस0एस0/स्काउटस (स्काउटस शब्द को स्काउट/गाईडस/रेन्जर्स के अर्थ में पढ़ा जावे) :

(क) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'ए' सर्टीफिकेट	02 प्रतिशत
(ख) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 'बी' सटीफिकेट या द्वितीय सोपान उत्तीर्ण स्काउटस	03 प्रतिशत
(ग) 'सी' सर्टिफिकेट या तृतीय सोपान उत्तीर्ण स्काउट	04 प्रतिशत
(घ) राज्य स्तरीय (संचालनालयीन) एन0सी0सी0 प्रतियोगिता	04 प्रतिशत
(च) नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड में म0प्र0 के एन0सी0सी0 कन्टिनजेन्ट में भाग लेने वाले विद्यार्थी को	05 प्रतिशत
(छ) राज्यपाल स्काउट	05 प्रतिशत
(ज) राष्ट्रपति स्काउट	10 प्रतिशत
(झ) म0प्र0 का सर्वश्रेष्ट एन0सी0सी0 केडेट	10 प्रतिशत
(य) डयूक आफ एडिनवर्ग अवार्ड प्राप्त एन0सी0सी0 केडेट	15 प्रतिशत
(र) भारत व अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ एक्चेंज प्रोग्राम	15 प्रतिशत
(ल) एन0सी0सी0/एन0एस0एस0 के तहत चयनित एवं प्रयास करने वाले केडिट को अन्तर्राष्ट्रीय जम्हुरी के लिये चयनित करने वाले विद्यार्थियों को	10 प्रतिशत

13.2	आनर्स विषय पाठयक्रम में उत्तीर्ण विद्यार्थी को स्नाकोत्तर कक्षा में उसी विषय में प्रवेश लेने पर ।	10 प्रतिशत
13.3	स्नातकोत्तर परीक्षा उर्त्तीण विद्याथियों को एल0एल0बी0 प्रथम में प्रवेश देने पर	05 प्रतिशत

13.4 खेलकूद /साहित्यिक/सांस्कृतिक /क्विज/रूपांकन प्रतियोगिताएं–

(1) लोकशिक्षण संचालनालय अथवा म0प्र0 उच्च शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित अंतर जिला संभाग स्तर पर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर संभाग/क्षेत्र स्तर प्रतियोगिता में –

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को–	02 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को–	04 प्रतिशत

(2) उपर्युक्त कंडिका 13.4(1) में उल्लेखित विभाग/संचालनालय द्वारा आयोजित अंतर संभाग/राज्य स्तर अथवा केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा आयोजित अंतर क्षेत्रीय/राष्ट्रीय प्रतियोगिता में अथवा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए0आई0यू0) द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में अथवा भारतीय अथवा संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित क्षेत्रीय प्रतियोगिता में:–

(क) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त टीम के प्रत्येक सदस्य को–	06 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को–	07 प्रतिशत
(ग) संभाग क्षेत्र का प्रतिनिधत्व करने वाले प्रतियोगी को–	05 प्रतिशत

(3) भारतीय विश्वविद्यालय संघ द्वारा आयोजित संसदीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में:–

(क) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को –	15 प्रतिशत
(ख) व्यक्तिगत प्रतियोगिता में उपर्युक्त स्थान प्राप्त करने वाले को –	12 प्रतिशत
(ग) क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतियोगी को –	10 प्रतिशत

13.5	भारत एवं अन्य राष्ट्रों के मध्य यूथ अथवा साईन्स एवं कल्चर एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत विज्ञान/सांस्कृतिक/साहित्यिक/कला क्षेत्र में चयनित एवं प्रयास करने वाले दल के सदस्यों को–	10 प्रतिशत
13.6	मध्यप्रदेश शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय प्रतियोगिता में –	
	(क) म0प्र0 का प्रतिनिधित्व करने वाली टीम के सदस्य को–	10 प्रतिशत
	(ख) प्रथम,द्वितीय,तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली म0प्र0 की टीम के सदस्यों को–	12 प्रतिशत
	(ग) बशर्ते कि म.प्र. शासन से मान्यता प्राप्त खेल संघों द्वारा जारी किये गये प्रमाण पत्र संबंधित जिले के खेल अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होना अनिवार्य होगा ।	
13.7	जम्मू–कश्मीर के विस्थापितों तथा उनके आश्रितों को–	01 प्रतिशत

13.8 विशेष प्रोत्साहन एन0सी0सी0 के राष्ट्रीय स्तर के सर्वश्रेठ केडेटस तथा ओलम्पिक एशियाड/स्पोर्ट्स अथारिटी ऑफ इंडिया एस0जी0एफ0आई0 द्वारा राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित खेल प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों को बगैर गुणानुक्रम के आगामी शिक्षा सत्र में उन कक्षाओं में प्रवेश दिया जावे जिनकी उन्हें पात्रता है :

<u>बशर्ते कि –</u>

(1) इस प्रकार के प्रमाण पत्रों को संचालक, खेल एवं युवक कल्याण मध्यप्रदेश द्वारा अभिप्रमाणित किया गया हो ; एवं

(2) यह सुविधा केवल उन्ही अभ्यार्थियों को मिलेगी जिन्होंने निर्धारित समयावधि के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन महाविद्यालय को प्रस्तुत किया है। परन्तु इस प्रकार की सुविधा दूसरी बार प्राप्त करने के लिए उन्हें उपलब्धि पुनः प्राप्त करना आवश्यक होगा।

13.9. प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु स्कूल स्तर के पिछले 4 क्रमिक सत्र तक के प्रमाण पत्र/स्नातकोत्तर प्रथम या विधि प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु विगत तीन क्रमिक सत्र के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य किये जावेगें । स्नातक द्वितीय, तृतीय एवं स्नातकोत्तर द्वितीय में प्रवेश हेतु तब के प्रमाण पत्र अधिभार हेतु मान्य होगें।

14 – संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन

(क) स्नातक/ स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के संकाय / विषय/ग्रुप परिवर्तन कर प्रवेश चाहने वाले विद्यार्थियों को उनके प्राप्ताकों से 5 प्रतिशत घटाकर उनका गुणानुक्रम निर्धारित किया जायेगा । अधिभार घटे हुए, प्राप्तांको पर देय होगा ।

(ख) महाविद्यालय में स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में एक बार प्रवेश लेने के बाद वर्तमान सत्र के दौरान संकाय/विषय/ग्रुप परिवर्तन की अनुमति महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा 15 जुलाई तक दी जावेगी।

15– विशेष

15.1 जाली प्रमाण पत्रों के आधार पर/गलत जानकारी देकर, जानबूझकर छिपाये गये प्रतिकूल तथ्यों, प्रशासकीय अथवा कार्यालयीन असावधानीवश यदि किसी आवेदक को प्रवेश मिल गया है, तब ऐसे प्रवेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.2 प्रवेश लेकर किसी समुचित कारण पूर्व अनुमति या सूचना के बिना, लगातार पंद्रह दिवस तक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने का अधिकार प्राचार्य को होगा।

15.3 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान कंडिका 9.2 एवं 9.3 में वर्णित अनुशासनहीनता के प्रकरण में लिप्त विद्यार्थियों का प्रवेश निरस्त करने अथवा उसे निष्कासित करने का अधिकार प्राचार्य का होगा।

15.4 प्रवेश के बाद सत्र के दौरान विद्यार्थी द्वारा महाविद्यालय छोड देने अथवा उसका प्रवेश निरस्त होने अथवा उसका निष्कासन किये जाने की स्थिति में विद्यार्थी को संरक्षित निधि के अतिरिक्त अन्य कोई शुल्क वापिस नही किया जायेगा।

15.5 प्रवेश के मार्गदर्शक सिद्धान्तों के स्पष्टीकरण या प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण में मार्गदर्शन की आवश्यकता होने पर, प्राचार्य प्रकरण में अनिवार्य रूप से स्पष्ट टीप व अभिमत देते हुए स्पष्टीकरण /मार्गदर्शन आयुक्त, उच्च शिक्षा, म0प्र0 भोपाल से प्राप्त करेंगे। प्रवेश संबंधी किसी भी प्रकरण को केवल अग्रेषित लिखकर प्रेषित न किया जाये।

15.6 इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में उल्लेखित प्रावधानों की व्याख्या करने का अधिकार आयुक्त, उच्च शिक्षा को है । इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों में समय–समय पर परिवर्तन / संशोधन निरसन / संलग्न का संपूर्ण अधिकार म0प्र शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय को होगा।

(आशीष उपाध्याय)
आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

पृ0क्र0 /239/आउशि/शाखा–1/2008, भोपाल, दिनांक

प्रतिलिपिः–

1 निज सचिव, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा, म0प्र0 शासन।

2 प्रमुख सचिव,म0प्र0 शासन,उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।

3 समस्त उप सचिव/अवर सचिव, म.प्र. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल।

4 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।

5 समस्त क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक,उच्च शिक्षा,म0प्र0 की ओर सूचनार्थ उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले शासकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यो को वितरित करने हेतु प्रेषित ।

6 अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा शाखा–13 को अशासकीय महाविद्यालयों को वितरित करने हेतु प्रेषित।

7 समस्त कुलसचिव, मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालय।

8 समस्त अधिकारी, उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश भोपाल।

(डॉ. प्रभा वर्मा)
अतिरिक्त संचालक,
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश शासन

मध्यप्रदेश के शासकीय/अशासकीय महाविद्यालयों की स्नातक तथा स्नातकोत्तर कक्षाओं में प्रवेश के लिये मार्गदर्शक सिद्धान्त सत्र 2008-2009

बैठक का कार्यवाही विवरण

बैठक में समिति द्वारा पूर्व वर्ष 2007–08 प्रवेश के मार्गदर्शी नियमों का परीक्षण किया गया एवं नवीन बिन्दुओं/विषयों पर क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालकों तथा महाविद्यालयों से प्राप्त सुझावों पर चर्चा की गई। कुछ अंशों को वार्षिक/सेमेस्टर पद्धति के अंतर्गत आंशिक संशोधन के साथ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचारोपरान्त जो सुझाव एवं अनुशंसायें प्रस्तुत की गई है वे निम्नानुसार इस प्रकार हैं–

क्र	पूर्व के नियमों की कंडिका	समिति की अनुशंसा	कार्यालयीन टीप	परीक्षा पद्धति
1	2.1	बोर्ड/विश्वविद्यालय के परीक्षा परिणामों की घोषणा नहीं होने पर प्रावधिक प्रमाण–पत्र प्राप्त कर आवेदन पत्र जमा किये जायें। इंटरनेट से डाउनलोड की गई अंक सूची को प्रवेश हेतु मान्य किया जावे।	अंक सूची के अभाव में प्रवेश कार्य में विलम्ब होता है। जिससे शैक्षणिक कलेंडर में व्यवधान उत्पन्न होता है।	सेमेस्टर एवं वार्षिक
2	2.2	31 जुलाई के स्थान पर 25 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त के स्थान पर 30 जून तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देंनें में सक्षम होंगे।	अध्ययन–अध्यापन व्यवस्था सुचारू रूप से सम्पन्न हो सके तथा 180 दिवसों का कड़ाई से पालन हो सके।	सेमेस्टर
3	2.4	स्नातक पूरक परीक्षाओं के छात्रों का प्रवेश जोड़ा गया तथा स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष में प्रवेश को विलोपित किया जाय ।	यह कंडिका पूरक परीक्षा से संबंधित है।	वार्षिक
4	2.4	31 जुलाई के स्थान पर 25 जून तक प्राचार्य स्वयं तथा 14 अगस्त के स्थान पर 30 जून तक कुलपति की अनुमति से प्राचार्य प्रवेश देंनें में सक्षम होंगे।	180 शैक्षणिक दिवसों का पालन सुनिश्चित करने हेतु।	सेमेस्टर
5	2.4	द्वितीय पैराग्राफ – परन्तु यह और भी .... प्राचार्य द्वारा दिया जा सकेगा। "विलोपित किया गया। इस पैराग्राफ को सेमेस्टर पद्धति के नियमों में जोड़ा जाता है।	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित।	सेमेस्टर
6	4 प्रवेश सूची	इसमें 14 अगस्त के स्थान पर 30 जून के पश्चात प्रवेश की अनुमति नहीं दी जावेगी।	180 दिवस से संबंधित।	सेमेस्टर
7	5.2	सेमेस्टर पद्धति के नियमों में कंडिका "क" एवं "ख" को जोड़ा जाय। इसी कंडिका के "ग" में संशोधन किया जाता है। स्नातक प्रथम/द्वितीय परीक्षा उत्तीर्ण को द्वितीय/तृतीय वर्ष के आवेदकों को उन्हीं विषयों में क्रमशः द्वितीय/तृतीय वर्ष में नियमित	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित। वार्षिक	सेमेस्टर वार्षिक

		प्रवेश की पात्रता होगी। द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र भरकर निर्धारित अंतिम तिथि से पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा। आवेदक द्वारा संपूर्ण प्रवेश शुल्क जमा करने पर ही प्रवेश वैध माना जायेगा।		
8	5.3 (क)	बी एच एस सी एवं एम एच एस सी को विलोपित किया जाता है।	यह पुनरावृत्ति थी।	वार्षिक
9	5.3 (ग)	किसी भी विषय के स्थान पर किसी भी संकाय के स्नातक को एम ए में प्रवेश की पात्रता होगी।	इस कंडिका को और अधिक स्पष्ट किया गया।	वार्षिक
10	5.4 (क) (ख)	क ख सेमेस्टर पद्धति के नियमों में जोड़ा जाय।	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित।	सेमेस्टर
11	5.5 (क) (ख)	सेमेस्टर पद्धति के नियमों में जोड़ा जाता है।	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित।	सेमेस्टर
12	6	इस कंडिका के 6.1, 6.4 तथा 6.5 उप कंडिकाओं को सेमेस्टर पद्धति के नियमों में जोड़ा जाता है।	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित।	सेमेस्टर
13	6.3	इस कंडिका को वार्षिक पद्धति में जोड़ा जाय।	वार्षिक पद्धति से संबंधित।	वार्षिक पद्धति से संबंधित।
14	6.4	अर्हता प्रमाण–पत्र "आवश्यक" के स्थान पर "अनिवार्य" होगा। (संशोधन) 6.4 का पैरा ... किसी भी कक्षा में ..... अंतिम माना जाएगा।	कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने की दृष्टि से।	सेमेस्टर एवं वार्षिक
15	7 बाह्य आवेदकों का प्रवेश	इस कंडिका की समस्त उपकंडिकायें सेमेस्टर एवं वार्षिक दोनों पद्धतियों में रहेगी। 7.1 में बी एच एस सी के स्थान पर बी एस सी (गृह विज्ञान) जोड़ा जाता है। तथा "आवश्यक हो" यह शब्द विलोपित किया जाय।	नियमों को स्पष्ट करने के लिये	वार्षिक एवं सेमेस्टर
16	8.2	इस कंडिका को सेमेस्टर पद्धति के नियमों से जोड़ा जाता है।	सेमेस्टर पद्धति से संबंधित होने के कारण	सेमेस्टर
17	9	इस कंडिका की उप कंडिकाओं में निम्नलिखित संशोधन उपरान्त दोनों पद्धतियों में लिया जाता है– 9.1, 9.2, 9. 3, 9.5, दोनों में रहेगी। 9.4 (क),(ख),(ग),(घ), (ड), (च), (छ) को केवल सेमेस्टर पद्धति से जोड़ा जाता है। तथा "ज" उप कंडिका की रचना इस प्रकार जोड़ी जाती है "प्राच्य पद्धति से पढ़ाये जाने वाले संस्कृत महाविद्यालयों में स्नातक स्तर के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा स्नातक स्तर पर 25 वर्ष एवं स्नातकोत्तर स्तर पर 30 वर्ष होगी।	संस्कृत महाविद्यालयों में प्रवेश लेने वाले अधिकांश छात्र ग्रामीण परिवेश से होते हैं, जिनकी आयु अधिक होती है।	सेमेस्टर एवं वार्षिक में 9.1,9.2,9.3,9.5 तथा केवल सेमेस्टर में 9.4 के क,ख,ग, घ,ड.,च,छ, तथा ज
18	10	10+.,की उप कंडिका (ख) को छोड़कर शेष कंडिकाएं तथा 10.2, दोनो पद्धतियों में रहेगी। 10.1 की उपकडिका (ख) सेमेस्टर में जोड़ी जाए तथा सेमेस्टर के	दोनों पद्धतियों में आवश्यकतानुार विन्दुओं का समावेश किया गया है।	सेमेस्टर एवं वार्षिक

		लिये 10.3 की रचना इस प्रकार है– ”प्राच्य पद्धति के संस्कृत महाविद्यालयों को शासन स्तर के अध्यापन का कार्य होने के कारण, जिस बोर्ड से उनके पाठ्यक्रम को सम्बद्धता प्राप्त हो उसी बोर्ड के प्रवेश नियमों को मान्य किया जाय।		
19	11	यह पूरी कंडिका वार्षिक एवं सेमेस्टर पद्धति के नियमों में रहेगी।		वार्षिक एवं सेमेस्टर
20	12	यह सम्पूर्ण कंडिका दोनों पद्धति में रहेगी।	आरक्षण संबंधी प्रावधान	सेमेस्टर एवं वार्षिक
21	13	यह सम्पूर्ण कंडिका दोनों में रहेगी।	अधिभार संबंधी प्रावधान	सेमेस्टर एवं वार्षिक
22	14	14 (क) (ख) सेमेस्टर पद्धति में रहेगी। 14 (ख) में 30 सितम्बर के स्थान पर 15 जुलाई किया जाता है (संशोधन)	सेमेस्टर के अनुरूप है।	सेमेस्टर
23	16.2	एक माह के स्थान पर 15 दिन (जोड़ा जाय) या अधिक समय को विलोपित किया जाय।	शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से सम्पन्न करने हेतु।	सेमेस्टर

उपरोक्त के अतिरिक्त पूर्व के मार्गदर्शी नियमों की कंडिका 1,3,5.1, 15 यथावत रहेगी।

1 डॉ राधा बल्लभ शर्मा

2 डॉ आई बी सिंह

3 डॉ श्रीमती एन पाठक

4 डॉ श्रीमती पुष्पा त्यागी

5 डॉ सुधा सिंह

6 डॉ श्रीमती आभा गार्गव

7 डॉ पी के जैन

8 डॉ एस एल सोनी

7 डॉ पी के खरे